

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

डा. प्रसन्नलाल

बनाम

श्रीकल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 242/2022

2022/318

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

25/5/2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती डा. प्रसन्नलाल

पिता श्री उकार लाल पूर्विया

निवासी- टाणी

तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम टाणी (प.ह.सामरी) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 328

कुल कीता 1 कुल रकबा 0.5100 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम टाणी (प.ह.सामरी) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 328

कुल कीता 01 रकबा 0.5100 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 500000 रूपये अक्षरे पत्थरगढी प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(श्याम सुन्दर विश्वाकर्षी)

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़ (राज.)